ज्ञान-विज्ञान विमुक्तये

प्रो. म. जगदीश कुमार
अध्यक्ष

Prof. M. Jagadesh Kumar
Chairman

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग
University Grants Commission
(शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार)
(Ministry of Education, Govt. of India)

मि0सं0 1-2/2023 (भारतीय भाषा)

19 अप्रैल, 2023

विषय- उच्चत्तर शिक्षा संस्थानों में मातृभाषा/स्थानीय भाषाओं में शिक्षण

आदरणीय महोदया/महोदय,

शिक्षा में भारतीय भाषाओं का संवर्धन और नियमित उपयोग राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में ध्यान देने योग्य एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। यह नीति मातृभाषा/स्थानीय भाषाओं में शिक्षण और सम्प्रेषण के महत्व पर बल देती है। इसमें शिक्षार्थियों के बेहतर संज्ञानात्मक उपलब्धि और समग्र व्यक्तित्व विकास के लिए सभी भारतीय भाषाओं में सम्प्रेषण को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर बल दिया गया है।

यह उत्साहजनक है कि हमारे देश के प्रत्येक राज्य में उच्च शिक्षा संस्थानों/विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों द्वारा स्थानीय भाषाओं में शिक्षण-अधिगम प्रक्रिया को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। इससे विद्यार्थियों, विशेष रूप से सामाजिक और आर्थिक रूप से वंचित समूहों (एस.ई.डी.जी.) को लाभ हुआ है। हालांकि, अकादमिक पारिस्थितिकी अभी भी सामान्य रूप से अंग्रेजी माध्यम केंद्रित ही बनी हुई है। यदि स्थानीय भाषाओं में शिक्षण, अधिगम और मूल्यांकन को सुदृढ़ किया जाए तो इससे शिक्षण-अधिगम में विद्यार्थियों की सहभागिता बढ़ेगी, जिससे उनके सफलता दर में वृद्धि होगी। यह 2035 तक उच्चत्तर शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात (जी.ई.आर.) को 27% से 50% तक बढ़ाने के परिकल्पित लक्ष्य को प्राप्त करने के प्रयासों को विशेष रूप से मजबूती प्रदान करेगा।

मातृभाषा/स्थानीय भाषाओं में पाठ्य-पुस्तकों के निर्माण तथा शिक्षण-अधिगम प्रक्रिया को बढ़ावा देने में उच्चतर शिक्षा संस्थानों की महत्वपूर्ण भूमिका है। इनके द्वारा किए जा रहे प्रयासों को सशक्त करने तथा मातृभाषा/स्थानीय भाषाओं में पाठ्य-पुस्तकों के लेखन एवं मानक पुस्तकों का अन्य भाषाओं में अनुवाद सहित शिक्षण में उनके उपयोग को प्रोत्साहित करने जैसे पहल को बढ़ावा देने की आवश्यकता है।

इसलिए, आयोग अनुरोध करता है कि (1) आपके विश्वविद्यालय में विद्यार्थियों को परीक्षा में स्थानीय भाषाओं में उत्तर लिखने की अनुमति दी जाए, भले ही कार्यक्रम अंग्रेजी माध्यम में हो, तथा (2) मौलिक लेखन का स्थानीय भाषाओं में अनुवाद तथा शिक्षण-अधिगम प्रक्रिया में स्थानीय भाषा के उपयोग को विश्वविद्यालयों में बढ़ावा दिया जाए।

उपरोक्त पहलों के संदर्भ में रणनीति बनाने के लिए, मैं आपसे निम्नलिखित जानकारी प्रदान करने का अनुरोध करता हूँ :

क. आपके संस्थान/विश्वविद्यालय में स्थानीय भाषाओं में उपलब्ध/उपयोग की जाने वाली पाठ्य-पुस्तकों/संदर्भ पुस्तकों/अध्ययन सामग्री की विषय-वार सूची

कृ०पृ०उ०...

क. मुख्य विषयों/पाठ्यक्रमों की विषयवार सूची जिसके लिए पाठ्य-पुस्तकों/संदर्भ पुस्तकों/अध्ययन सामग्री को स्थानीय भाषाओं में अवश्य लिखा/अनुवादित किया जाना चाहिए।

ख. आपके संस्थान/विश्वविद्यालय में वैसे शिक्षकों/विषय-विशेषज्ञों/अध्येताओं की विषय-वार उपलब्धता जो स्थानीय भाषाओं में पाठ्य-पुस्तकों/संदर्भ पुस्तकों/अध्ययन सामग्री को लिख या अनुवाद कर सकते हैं।

ग. स्थानीय भाषाओं में पाठ्य-पुस्तकों के मुद्रण के लिए स्थानीय प्रकाशकों की उपलब्धता।

घ. अध्ययन-सामग्री को स्थानीय भाषाओं में लाने की सफलता की कहानी/योजना पर चर्चा।

ङ. क्या विद्यार्थी परीक्षाओं में स्थानीय भाषाओं में उत्तर लिख सकते हैं?

उपरोक्त के संदर्भ में यह अनुरोध किया जाता है कि निर्धारित एक्सेल प्रारूप (चार स्प्रेडशीट, ए, बी, सी और डी) में जानकारी संकलित करें और अन्य आवश्यक विवरणों के साथ इसे गूगल फॉर्म में अपलोड करके प्रस्तुत करें। गूगल फॉर्म का लिंक नीचे दिया गया है:

https://forms.gle/seuqbid7a5m8pbh8a

(**नोट:** एक्सेल फॉर्म डाउनलोड करने का लिंक गूगल फॉर्म के अंदर उपलब्ध है)

हम आपके सहयोग के लिए बहुत आभारी हैं।

हम आगे की बातचीत के लिए संपर्क में रहेंगे।

धन्यवाद।

भवदीय,

म. जगदीश कुमार

(प्रो० म. जगदीश कुमार)

सेवा में,

सभी विश्वविद्यालयों के कुलपति।